सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 10.07.2024

ए.एन.एम छात्रा की सनसनीखेज जघन्य हत्या करने वाले अभियुक्त पर इटावा पुलिस द्वारा की गयी एनएसए(रासुका) की कार्यवाही।

अभियुक्त को केन्द्रीय कारागार इटावा मे किया गया निरुद्ध।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना वैदपुरा पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

संक्षिप्त विवरणः-

अवगत कराना है कि दिनांक 14.03.24 को वादिनी शोभा मिश्रा पत्नी अनिल कुमार निवासी होली मोहल्ला कस्बा व थाना कुदरकोट जनपद औरैया की बेटी प्रिया जोकि सैफई कालेज से एएनएम प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी, जिसकी महेन्द्र बाथम ने अपने भाई के साथ मिलकर हत्या कर शव को मदरडेरी प्लान्ट के पास सड़क किनारे फेंक दिया। इसके संबंध मे थाना वैदपुरा पर **मु0अ0सं0 14/2024 धारा 302/201/34 भादवि** पंजीकृत किया गया था।

जिस पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 15.03.24 को अभियुक्त महेन्द्र बाथम पुत्र रामरतन बाथम निवासी होली मोहल्ला थाना कुदरकोट जनपद औरैया उम्र 28 वर्ष एवं रामप्रकाश पुत्र बालेश्वर निवासी होली मोहल्ला थाना कुदरकोट जनपद औरैया उम्र 53 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियुक्त महेन्द्र बाथम एक आपराधिक प्रवृत्ति के धनलोलुप, दुस्साहसिक, दुर्दान्त व मनबढ़ किस्म का व्यक्ति है। अपने साथियों के साथ एक योजना बनाकर दिनांक 14.03.2024 को अपनी ईको गाडी से सह अभियुक्त अरविन्द बाथम के साथ जनपद इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज जाकर वादिनी सोभा मिश्रा की पुत्री प्रिया मिश्रा उम्र 19 वर्ष जो सैफई मैडिकल कॉलेज मे एएनएम प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी को बहला फुसलाकर पूर्व परिचित होने के कारण अपनी ईको मे बैठाकर ले गये और नुकीले पेंचकस से कई वार कर निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी तथा सही मौका मिलने पर मृतिका के शव को थाना वैदपुरा क्षेत्रान्तर्गत स्थित मदर डेयरी प्लांट करहल सैफई मुख्य मार्ग के पास फेंककर मौके से फरार हो गये। दिनांक 14.03.2024 को करहल सैफई मार्ग व इटावा रोड के पास रात्रि 8 बजे के करीब 19 वर्षीय बालिका के लहुलुहान शव को देखते ही खबर आसपास के क्षेत्र मे आग की तरह फैल गयी। जिससे घटना स्थल एवं उसके आसपास के लोग भयाक्रान्त हो गये। बालिका की लहुलुहान लाश देखकर जनता के लोग सहम गये। आसपास स्थित दुकानदार दुकान बंद करके अपने घरों को चले गयें। घटना स्थल के आस पास के मार्गो से गुजरने वाले व्यक्तिगत व व्यवसायिक गाडियों के मालिक अपनी गाडियां लेकर सुरक्षित स्थानों पर चले गये।

पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया और घटनास्थल के आसपास व जनपद इटावा की लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी थी। आम नागरिकों मे भय का माहौल व्याप्त हो गया था। उक्त घटना से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान थाना वैदपुरा पुलिस टीम पर अभियुक्त महेन्द्र बाथम एवं अरविन्द बाथम द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। इस घटना से सामान्य जनता (विशेषकर महिलायें) इतनी आतंकित एवं भयग्रस्त थी कि कोई अपने दैनिक क्रियाकलाप हेतु बाहर नही निकले। इस घटना से सामान्य जनता स्वयं तथा अपनी बच्चों की सुरक्षा को लेकर अत्यंत भयभीत एवं चिंतित हो गये। यह सनसनीखेज घटना सामान्य जनता के मस्तिष्क पर कई दिनों तक छायी रही और लोग इससे दहशत मे रहें।

ऐसी स्थिति को सामान्य करने के लिय जनपदीय पुलिस द्वारा अथक परिश्रम करते हुये काफी प्रयास किये गये। उक्त घटना की संवेदनशीलता व अभियुक्त द्वारा कारित घटना से समाज मे फैले भय, आतंक व लोक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये थानाध्यक्ष वैदपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उच्चाधिकारीगण की संस्तुति के आधार पर माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय इटावा द्वारा दिनांक 10.07.2024 को मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त महेन्द्र बाथम निवासी होली मोहल्ला थाना कुदरकोट जनपद औरैया उम्र 28 वर्ष के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

अभियुक्त का नाम -

01. महेन्द्र बाथम पुत्र रामरतन बाथम निवासी होली मोहल्ला थाना कुदरकोट जनपद औरैया उम्र 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 14/2024 धारा 302/201/34/120बी भादवि थाना वैदपुरा जनपद इटावा।